

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक-9/दो-11-15/2015

रायगढ़, दिनांक 05.01.2018

इस स्थापना से जारी विज्ञापन रायगढ़ दिनांक 09.08.17 के परिपेक्ष्य में चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप निर्धारित तिथि पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर वेतन बेण्ड 5200-20200/- + ग्रेड वेतन 1900/- (लेबल 4) में अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण दिनांक से 2 वर्ष की परीविक्षावधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है :-

अनुसूचित जनजाति (मुक्त) प्रतिक्षासूची के अभ्यर्थी नाम :-


क्र.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
1	1015	सुनील कुमार वार्ड क्र. 56 (भाठापारा) बघेरा- दुर्ग (छ.ग.), 491001

अनुसूचित जनजाति (महिला) प्रतिक्षासूची के अभ्यर्थी नाम :-

क्र.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
1	1221	तुलसी ग्राम भदरापारा, (सराईडीह) पो. तिलकेजा, जिला कोरबा (छ.ग.)

=// नियुक्ति की शर्तें // =

- चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक **22.01.2018** अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जाति एवम् निवास प्रमाण पत्र लेकर पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय जिला एवम् सत्र न्यायालय, रायगढ़ में सुबह 10.30 बजे से 5.30 बजे तक उपस्थित होंगे।
- चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष पद एवम् निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
- चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने के पंद्रह दिवस के भीतर मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल एवम् उनके क्रिया-कलाप से सम्बन्ध नहीं रखेंगे।
- चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।
- चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की अनुमति के बिना अन्य किसी पद के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तथा अध्ययन जारी नहीं रख सकेंगे।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, उभयपक्ष द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
- चयनित अभ्यर्थी अपना मूल जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से तीन माह के भीतर सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
- चयनित अभ्यर्थी को अनिवार्यतः दिनांक **22.01.2018** तक पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा।


(संजय जायसवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 61 दो-11-15/2015

रायगढ़, दिनांक :- 05.01.2018

- 1 अध्यक्ष चयन समिति, जिला न्यायालय, रायगढ़
- 2 सुनील कुमार, वार्ड क्र. 56 (भाठापारा), बघेरा- दुर्ग (छ.ग.), 491001
- 3 तुलसी ग्राम भदरापारा, (सराईडीह), पो. तिलकेजा, जिला कोरबा (छ.ग.)
- 4 लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5 जिला नाजिर, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

Benim 5-1-18
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ.ग.)